समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये वादी रतीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 23 रकबा 3.4236 हैक्टैयर में से 2.7519 हैक्टेयर पूर्वी भाग व वादी रामलाल के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मोजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 23/125 रकबा 2.7519 हैक्टैयर पूरा व खसरा नंबर 23 रकबा 3.4236 हैक्टेयर में से 0.6717 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा यथावत घोषित कर दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि–

1. वादी रतीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 23 रकबा 3.4236 हैक्टैयर में से 2.7519 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है ।
2. वादी रामलाल के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मोजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 23/125 रकबा 2.7519 हैक्टैयर पूरा व खसरा नंबर 23 रकबा 3.4236 हैक्टेयर में से 0.6717 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा यथावत रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वर्तमान/पूर्व में की गई गलत तरमीम को अपास्त किया जाता है एवं उसके स्थान पर वादपत्र अनुतोष एवं मुताबिक भू.अभि.निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार तरमीम को दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 2318 दिनांक 27.07.2023 निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

यह आदेश आज दिनांक 28.8.23 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner